



प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

संयुक्त सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 26 सितम्बर, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में डा० भीमराव रामजी आंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कन्नौज परिसर में श्रेणी-4 एवं 5 के नवीन आवासों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०/निर्माण/2026-27/187, दिनांक 27.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से डा० भीमराव रामजी आंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कन्नौज परिसर में श्रेणी-4 एवं 5 के नवीन आवासों के निर्माण कार्य हेतु परियोजना की मूल्यांकित टेण्डर कास्ट रु० 2938.32 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान करते हुए रु० 650.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि डा० भीमराव रामजी आंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कन्नौज परिसर में श्रेणी-4 एवं 5 के नवीन आवासों के निर्माण कार्य के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति व अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्नवत है :-

क्र०	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	शासनादेश का विवरण	स्वीकृत लागत (लाख में)	संशोधित पुनरीक्षित लागत (टेण्डर कास्ट के अनुसार) (लाख में)	अवमुक्त धनराशि (लाख में)	
						अनुदान सं०-31	अनुदान सं०-83
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डा० भीमराव रामजी	उ०प्र० राजकीय	सं०- 142/2024/1/798770/	2961.48	-----	500.00	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कन्नौज परिसर में श्रेणी-4 एवं 5 के नवीन आवासों के निर्माण	निर्माण निगम लि0	2024/71- 1002/5/2022, दिनांक 18.11.2024				
		सं0- 153/2025/1/1127864/ 2025/71- 1002/5/2022, दिनांक 31.10.2025				
		सं0- 115/2026/1/1469380/ 2026/71- 1002/5/2022, दिनांक 18.09.2026	-----	2938.32		
योग					1000.00	200.00
महायोग-					1200.00	

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ० भीमराव रामजी आंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज परिसर में श्रेणी-4 एवं 5 के नवीन आवासों के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रू० 2938.32 लाख (टेण्डर कास्ट के अनुसार) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज हेतु मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य मद में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत रू० 500.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत रू० 150.00 लाख अर्थात् कुल रू० 650.00 लाख को प्रश्नगत कार्य हेतु अनुवर्ती किश्त के रूप में **रू० 650.00 लाख (रू० छः करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रधानाचार्य, डा० भीमराव रामजी आंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कन्नौज / कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय ऊन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर एवं बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
5. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत विषयक शासनादेश संख्या-142/2024/1/798770/2024/71-1002/5/2022, दिनांक 18.11.2024 सपठित शासनादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-115/2026/1/1469380/2026/71-1002/5/2022, दिनांक 18.09.2026 में अंकित शर्तें यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031055600 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037890400 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, लि० लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
9. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।